RAGHAV PRODUCTIVITY ENHANCERS LTD.
(Formerly - Raghav Ramming Mass Ltd.)

Date: 29-06-2023

To,
The Manager,
Department of Corporate Services
BSE LTD.,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
MUMBAI- 400 001

Sub: Intimation of submission of Newspaper Publication
Ref: Raghav Productivity Enhancers Limited, Scrip Code: 539837

Dear Sir

With reference to the above subject, and pursuant to Regulation 30 & 47 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of Newspaper advertisement for "Information regarding 14th Annual General Meeting to be held through Video Conferencing/Other Audio Visual means published on 29th June, 2023 in Financial Express (English) and Nafa Nuksan (Hindi).

You are kindly take above in your records and oblige

Thanking You

Yours Faithfully
For Raghav Productivity Enhancers Limited

NEHA RATHI Digitally signed by NEHA RATHI
Date: 2023.06.29 13:32:37 +05'30'

Neha Rathi
(Company Secretary & Compliance Officer)
M.No.: A38807

Registered Office:
Office No. 36, 4th Floor, Alankar Plaza, Central Spine, Vidhyadhar Nagar, Jaipur, Rajasthan - 302 023
CIN: L27109RJ2009PLC030511 | **P:** +91 141 2235760 - 61 | **E:** rammingmass@gmail.com | **W:** www.rammingmass.com

AKASH
TES LIMITED
JP1995PLC019017
04, Uttar Pradesh, (India) **Tel.:** +91 (120) 2470800
sant Lok, Vasant Vihar, New Delhi-110 057.
jalindia.com; **E-mail:** jal.investor@jalindia.co.in

PRESSION OF INTEREST
RIGHTS OF COMMERCIAL PLOT

pany"), a public limited company incorporated
t, 1956 with its Registered Office at Sector-128,
ghts on the Commercial Plot as detailed below:

Plan Commercial land (FAR of 4) in Sector-129,
illion sq ft.

n of Interest:

l Plot is on "As is where is basis", "As is what is

Plan Commercial land as per NOIDA Master Plan
perty are Shopping Centre/ Commercial Centre/
Master Plan and Building Regulations 2010 of

usively mortgaged in favour of IDBI Trusteeship
") for the sole benefit of Standard Chartered Bank
ssuance of NOC by SCB and the Trustee.

and will not be deemed to constitute an offer from
nmitment on the part of the Company.

ept or reject any offer at its sole discretion, if not
cel the process at any time without assigning any
nis regard shall be final.

s and conditions, please contact the Concerned
l : vinod.gupta@jalindia.co.in

Vinod Gupta
Concerned Officer

AL BANK
BANKING PARTNER
ral Towers, 2/2, West Patel Nagar, Patel Road,
78, 79 & 80 Email: ndilcrd@federalbank.co.in
Website: www.federalbank.co.in

CE (For Immovable Property)

Authorised Officer of the Federal Bank Ltd.
tion of Financial Assets and Enforcement of
referred to as Act) and in exercise of powers
e said Act read with rule 3 of the Security
hereinafter referred to as Rules) issued a
ng upon the **Borrowers:(1) Mr. Gurbachan**
K 3, Partap Nagar, Jalandhar-I, Jalandhar-
W/o Mr. Rajeev Kumar and D/o Mr. Prabh
agar, Mangu Basti, Basti Guzan, Jalandhar-
lla, Basti Danishmanda Road, Near Tagore
Punjab. **(3) Mr. Rajeev Kumar, S/o Mr.**
ap Nagar, Jalandhar-I, Jalandhar-144003,
ned in the notice being ₹ ₹ **11,19,982.07**
ousand Nine Hundred Eighty-Two and
intly and severally as on 04.01.2023 under
No. 16157300000379 within 60 days from
The borrowers having failed to repay the
borrower and the public in general that the
of the property described herein below in
her under section 13(4) of the said Act read
Day of June 2023.
the provisions of section 13 (8) of the Act,
the secured assets (security property).
in general is hereby cautioned not to deal
the property will be subject to the charge of
11,08,835.07 (Rupees Eleven Lakh Eight
ve and Paisa Seven only) is due from you
3 under your Federal Housing Loan (FHS)
t thereon.

AGED IMMOVABLE PROPERTY

roperty measuring 5 **Marla** with residential
ether with building existing and/or to be
nts thereon comprised in Hadbast no.300,
a No.425/156 Kita-1, Abadi Pratap Nagar,
01, Jalandhar District, Punjab State within
ar-2, bounded as per title deed on **East by:**
North by: Property No 2 and **South by:**
d on **East by:** Road , **West by:** Property
Anita Chopra H.no.K 1-2 and **South by:**
described in Sale Deed (Wasika) No. 2883
]

eputy Vice President -1 & Division Head,
Authorised Officer under SARFAESI Act
(The Federal Bank Ltd)

New Delhi - 110015

ENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002.
vers & co-borrowers have been secured by the
rregular, their loans were classified as NPA's as
also be payable as applicable and the same will

ils of as Assets	Date of NPA
o. 11/1 Min. 47, P-II, Khasra No. 405.2 Sqm, Nehru Nagar Colony, atwari HalkaPanjreh, Ri Circle Sapient School, Bsnl Tower, Distt. roperty Owned By Mrs. Kusum	06.04.2022

PUBLIC NOTICE

Before the Central Government
Northern Region Bench, Delhi
In the matter of sub-section 4 of section 13 of the Companies Act 2013 and clause (a) of sub-section (5) of Rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules 2014
AND
In the matter of MANESAR AGROTECH PRIVATE LIMITED having its Registered Office at D-10/9 Model Town, New Delhi -110009

Notice is hereby given to General Public that the company proposes to make the application to the Central Government under section 13 of the Companies Act 2013, seeking confirmation of alteration of Memorandum of Companies of the company in term of special resolution passed at Extra ordinary General Meeting held on MONDAY, 26TH DAY OF JUNE 2023 to enable the company to **change its Registered Office from "State of Delhi" to "State of Haryana"**. Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change, may deliver either on MCA portal (www.mca.gov.in) by filling investor complaint form or cause to be deliver or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and ground of opposition to the Regional Director at the Address B-2 WING, 2nd FLOOR, PARYAVARAN BHAWAN, CGO COMPLEX, NEW DELHI – 110003, **within 14 Days** of date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office or at C-31, Greenwoods City, Sector 45, Gurgaon, Haryana - 122003.

For and on behalf of
MANESAR AGROTECH PRIVATE LIMITED
Sd/-
VIJAY GUPTA
(DIRECTOR)
DIN: 00010443

Date: 29.06.2023
Place: Gurugram

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, NEW DELHI COURT-V
FORM NO. NCLT. 3A
Advertisement detailing petition
COMPANY PETITION No. 11 of 2023
Connected With
COMPANY APPLICATION NO. 92/PB/2021

In the Matter of: -
Sections 230 to 232 of the Companies Act, 2013;
And
In the Matter of: -
Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016
And
In the matter of:
Dynamic Enclave Private Limited (hereinafter referred to as "DEPL" or 'Transferor Company No. 1") is a company incorporated under the Companies Act, 1956 with CIN U45400DL2008PTC275825 and having its registered office at 6/30, Street No. 6, Near Mount Carmel School, Shanti Niketan New Delhi, South West Delhi 110021 within the aforesaid jurisdiction;
And
In the matter of:
Maharaja Tie-Up Private Limited (hereinafter referred to as "MTUPL" or 'Transferor Company No. 2') is a company incorporated under the Companies Act, 1956 with CIN U51909DL2007PTC275770 and having its registered office at 6/30, Street No. 6, Near Mount Carmel School, Shanti Niketan New Delhi, South West Delhi 110021 within the aforesaid jurisdiction;
And
In the matter of:
Gangaur Management Consultants Private Limited (hereinafter referred to as "GMCPL" or 'Transferor Company No. 3') is a company incorporated under the Companies Act, 1956 with CIN U74140DL2010PTC276184 and having its registered office at 6/30, Street No. 6, Near Mount Carmel School, Shanti Niketan New Delhi, South West Delhi 110021 within the aforesaid jurisdiction;
And
In the matter of:
Shivshakti Commercial Private Limited (hereinafter referred to as "SCPL" or 'Transferor Company No. 4') is a company incorporated under the Companies Act, 1956 with CIN U51109DL2007PTC275811 and having its registered office at 6/30, Street No. 6, Near Mount Carmel School, Shanti Niketan New Delhi, South West Delhi 110021 within the aforesaid jurisdiction;
And
In the matter of:
J.H. Jewels Private Limited (hereinafter referred to as "JHJPL" or "Transferee Company") is a company incorporated under the Companies Act, 1956 with CIN U51909DL2010PTC201111 and having its registered office at Unit No. 307, Gera's Imperium Grand EDC Complex, Patto Plaza, Panaji, North Goa - 403001 within the aforesaid jurisdiction;
In the matter of:
1. Dynamic Enclave Private Limited (the Transferor Company No 1)
2. Maharaja Tie-Up Private Limited (the Transferor Company No 2)
3. Gangaur Management Consultants Private Limited (the Transferor Company No 3)
4. Shivshakti Commercial Private Limited (the Transferor Company No 4)
5. J.H. Jewels Private Limited (the Transferee Company) ...Petitioners(s)

NOTICE OF PETITION

A Petition under Section 230 to 232 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Compromise, Arrangements and Amalgamation) Rules, 2016 for approval of Scheme of Amalgamation of Petitioner No. 1 to 4 with Petitioner No. 5 was presented by the above named petitioners on 7th June, 2023 and the said petition is fixed for final hearing on 2nd August, 2023 before NEW DELHI COURT-V of Hon'ble National Company Law Tribunal, Delhi. Any person desirous of supporting or opposing the said petition should send to the National Company Law Tribunal, Delhi at, Delhi Bench at Block No 3, Ground, 6th, 7th Floor & 8th Floor, C.G.O. Complex, Lodhi Rd, Block No. 3, New Delhi, Delhi 110003 and also to the petitioners authorized representative Arani Guha Advocate at the office Security House, Suite No, 115, 1st Floor, 23B, N.S. Road, Kolkata 700001, notice of his intention, signed by him or his advocate, with his name and address, so as to reach the petitioner's authorized representative not later than ten days before the date fixed for the hearing of the petition, the grounds of opposition or a copy of his affidavit shall be furnished with such notice. A copy of the petition will be furnished by the undersigned to any person requiring the same on payment of thee prescribed charges for the same.

Amit Sankhwal
(Director)
DIN:06870562

Dated : 27.06.2023
Place : Kolkata

Public Notice For E-Auction For Sale Of Immovable Properties

Sale of Immovable property mortgaged to IIFL Home Finance Limited (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) (IIFL-HFL) Corporate Office at Plot No. 98, Udyog Vihar, Phase–IV, Gurgaon-122015 (Haryana) and Branch Office at:- **" 1017, Tenth Floor, Cyber Heights, TC 2/2 and TC 5/5, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow - 226 010** "under the **Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002**(hereinafter "Act"). Whereas the Auhorized Officer ("AO") of IIFL-HFL had taken the possession of the following property/ies pursuant to the notice issued U/S 13(2) of the Act in the following loan accounts/prospect nos. with a right to sell the same on **"AS IS WHERE IS BASIS & AS IS WHAT IS BASIS"** for realization of IIFL-HFL's dues. The Sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the website: www.bankeauctions.com.

Borrower(s)/Co-Borrower(s)/Guarantor(s)	Demand Notice Date and Amount	Description of the Immovable property/ Secured Asset	Date of Physical Possession	Reserve Price	Date of Inspection of property
1. Mr. Umesh Kumar Yadav 2. Mrs. Sviti Yadav **(Prospect No. 804849)**	**21-Dec-2019** **Rs. 11,68,240/-** (Rupees Eleven Lakh Sixty Eight Thousand Two Hundred Forty Only) **Bid Increase Amount** **Rs. 25,000/-** (Rupees Twenty Five Thousand Only)	All that part and parcel of the property bearing Plot No. 24-A , Khasra No. 114 , Minjula , admeasuring 400 Sq. Ft., or 37.174 Sq. Mtrs., situated at Lohramau , Ward Faizullahganj , Paragana Teshhil and Lucknow , Uttar Pradesh -226020 (Built Up Area Ad Measuring 800 Sq. Ft.)	**16-Jun-2023** **Total Outstanding As On Date 01-June-2023** **Rs. 15,89,521/-** (Rupees Fifteen Lakh Eighty Nine Thousand Five Hundred Twenty One Only)	**Rs. 11,52,000/-** (Rupees Eleven Lakh Fifty Two Thousand Only) **Earnest Money Deposit (EMD)** **Rs. 1,15,200/-** (Rupees One Lakh Fifteen Thousand Two Hundred Only)	**28-July-2023** **1100 hrs -1400 hrs** **EMD Last Date** **31-July-2023 till 5 pm.** **Date/Time of E Auction** **02-Aug-2023** **1100 hrs.-1300 hrs.**

Mode Of Payment :- EMD payments are to be made vide online mode only. To make payments you have to visit https://www.bankeauctions.com and pay through link available for the property/ Secured Asset only.
Note:: Payment link for each property/ Secured Asset is different. Ensure you are using link of the property/ Secured Asset you intend to buy vide public auction.
For balance payment, upon successful bid, has to pay through RTGS/NEFT. The accounts details are as follows: a) Name of the Account:- IIFL Home Finance Ltd., b) Name of the Bank:- Standard Chartered Bank, c) Account No:-9902879xxxxx followed by Prospect Number, d) IFSC Code:- SCBL0036001, e) Bank Address: Standard Chartered Bank, 90 M.G. Road, Fort, Mumbai-400001.

Terms and Conditions:-

1. For participating in e-auction, Intending bidders required to register their details with the Service Provider https://www.bankeauctions.com, well in advance and has to create the login account, login ID and password. Intending bidders have to submit / send their "Tender FORM" along with the payment details towards EMD, copy of the KYC and PAN card at the above mentioned Branch Office.
2. The bidders shall improve their offer in multiple of amount mentioned under the column "Bid Increase Amount". In case bid is placed in the last 5 minutes of the closing time of the auction, the closing time will automatically get extended for 5 minutes.
3. The successful bidder should deposit 25% of the bid amount (after adjusting EMD) within 24 hours of the acceptance of bid price by the AO and the balance 75% of the bid amount within 15 days from the date of confirmation of sale by the secured creditor. All deposit and payment shall be in the prescribed mode of payment.
4. The purchaser has to bear the cess, applicable stamp duty, fees, and any other statutory dues or other dues like municipal tax, electricity charges, land and all other incidental costs, charges including all taxes and rates outgoings relating to the property.
5. Bidders are advised to go through the website https: //bankeauctions.com and https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction for detailed terms and conditions of auction sale & auction application form before submitting their Bids for taking part in the e-auction sale proceedings.
6. For details, help procedure and online training on e-auction prospective bidders may contact the service provider E mail ID:- support@bankeauctions.com, Support Helpline Numbers:@7291981124/25/26.
7. For any query related to Property details, Inspection of Property and Online bid etc. call IIFL HFL toll free no. 1800 2672 499 from 09:30 hrs to 18:00 hrs between Monday to Friday or write to email:- auction.hl@iifl.com
8. Notice is hereby given to above said borrowers to collect the household articles, which were lying in the secured asset at the time of taking physical possession within 7 days, otherwise IIFL-HFL shall not be responsible for any loss of property under the circumstances.
9. Further the notice is hereby given to the Borrower/s, that in case they fail to collect the above said articles same shall be sold in accordance with Law.
10. In case of default in payment at any stage by the successful bidder / auction purchaser within the above stipulated time, the sale will be cancelled and the amount already paid will be forfeited (including EMD) and the property will be again put to sale.
11. AO reserves the rights to postpone/cancel or vary the terms and condition of tender/auction without assigning any reason thereof. In case of any dispute in tender/Auction, the decision of AO of IIFL-HFL will be final.

STATUTARY 30 DAYS SALE NOTICE UNDER RULE 8 (6) OF THE SARFAESI ACT, 2002

The Borrower are hereby notified to pay the sum as mentioned above along with upto dated interest and ancillary expenses before the date of Tender/Auction, failing which the property will be auctioned/sold and balance dues if any will be recovered with interest and cost.

Place : Lucknow
Date : 29-06-2023

Sd/-
Authorised Officer, For IIFL Home Finance Ltd.

RAGHAV PRODUCTIVITY ENHANCERS LTD.
(Formerly - Raghav Ramming Mass Ltd.)

Registered Office: Office No.36, 4th Floor, Alankar Plaza, Central Spine, Vidyadhar Nagar, Jaipur, Rajasthan- 302023
CIN: L27109RJ2009PLC030511 I P: +91 141 2235760-61
E: rammingmass@gmail.com I W: www.rammingmass.com

INFORMATION REGARDING 14TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING/ OTHER AUDIO VISUAL MEANS

The 14th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Raghav Productivity Enhancers Limited ("The Company") will be held on Tuesday, 25th July 2023 at 3:00 P.M. through Video Conferencing ("VC") and audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the General Circulars 2/2022 and 19/2021, other circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 issued by issued by the Securities and Exchange Board of India (hereinafter collectively referred as the "the Circulars") to transact the business as set out in the notice of AGM.

In accordance with the Circulars, Notice of AGM along with the Annual Report of the Company for the financial year 2022-23 ("Annual Report 2022-23"), will be sent only through electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Company. Annual Report 2022-23 will also be available on the website of the company at www.rammingmass.com and BSE Limited at www.bseindia.com.

Remote e-voting facility is provided to Members to cast their votes on any of the resolutions set out in the Notice of AGM. Members have the option to cast their vote using the remote e-voting facility prior to AGM or during the AGM. Detailed procedure for remote e- voting is provided in the Notice of the AGM.

The Board in their meeting held on June 27, 2023 has recommended final dividend of Rs. 1.00/- per fully paid up equity share. The record date for the purpose of final dividend for the fiscal year 2023 is July 08, 2023. The final dividend, if approved at the AGM will be paid within a period of 30 days from the date of declaration electronically through various online transfer modes to those members who have updated their bank account details. For members who have not updated their bank account details, dividend warrants/ demand drafts/chequeswill be sent to their registered addresses. To avoid delay in receiving dividend, members are requested to update their KYC with their depositories to receive dividend directly into their bank account on the payout date.

Shareholders who wish to register their email addresses/ bank account mandate may follow the below instructions:

Dematerialized Holding	Please provide Demat Account Details (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID+ CLID), Name, client master or copy of consolidated Account statement, PAN and AADHAR (self-attested) by e-mail to the Company at cs@rammingmass.com or to Registrar and Transfer Agent at ujata@bigshareonline.com
Physical Holding	Please provide necessary details like folio no. name of shareholder, scanned copy of share certificate (front and back), PAN (self-attested), Aadhaar (self-attested) by e-mail to the Company at cs@rammingmass.com or to Registrar and Transfer Agent at ujata@bigshareonline.com

Pursuant to Finance Act 2020, dividend income will be taxable in the hands of shareholders w.e.f. April 1, 2020 and the Company is required to deduct tax at source from dividend paid to shareholders at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, the shareholders are requested to refer to the Finance Act, 2020 and amendments thereof. The shareholders are requested to update their PAN with the Company/ RTA (in case of shares held in physical mode) and depositories (in case of shares held in demat mode) A Resident individual shareholder with PAN and who is not liable to pay income tax can submit a yearly declaration in Form No. 15G/15H,to avail the benefit of non-deduction of tax at source by email to tds@bigshareonline.com by 11:59 P.M. IST on July 05 2023. Shareholders are requested to note that in case their PAN is not registered, the tax will be deducted at a higher rate of 20%. Non-resident shareholders can avail beneficial rates under tax treaty between India and their country of residence, subject to providing necessary documents i.e. No Permanent Establishment and Beneficial Ownership Declaration, Tax Residency Certificate, Form 10F, any other document which may be required to avail the tax treaty benefits by sending an email to tds@bigshareonline.com. The aforesaid declarations and documents need to be submitted by the shareholders by 11:59 P.M. IST on July 05, 2023.

By order of the Board
For Raghav Productivity Enhancers Limited
Sd/-
Neha Rathi
(Company Secretary)

Place : Jaipur
Date : June 28, 2023

ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LIMITED

For Your Information...

Medical colleges in India

1991-92: 146
2004-05: 229
2009-10: 300
2014-15: 398
2017-18: 476
2019-20: 533
2020-21: 562

Source: National Health Profile; MCI, MoHFW

Compiled by Nafanuksan Research

यहां करें भ्रष्टाचार की शिकायत

एसीबी टोल फ्री नंबर : 1064
वाट्सऐप हेल्पलाइन नं. : 9413502834

विचार सागर

''मानव जीवन में सभी निर्णय स्वयं के नहीं होते, कुछ निर्णय प्रकृति और समय के अधीन भी होते हैं।''

- पी.सी. वर्मा

''आदमी अपने दुखों के कारण उतना दुखी नहीं रहता, जितना वह पड़ोसी के सुखों के कारण दुखी रहता है और हां, पड़ोसी भी इसी कारण दुखी रहता है।''

- के.आर. कमलेश

Thoughts of the time

That state is best ordered when the wicked have no command, and the good have.

- Pittacus

Coming together is a beginning, staying together is progress and working together is success.

- Suresh Rathi

राजस्थानी कहावत

गाडी धांन री मूठी बांनगी

गाड़ी भर अनाज की मुट्ठी बानगी

- थोड़े से संपर्क से किसी भी आदमी के आचरण का पता लग जाता है।
- नमूने मात्र से वस्तु की परख हो जाती है।

-स्व. विजय दान देथा
साभार : रूपायन संस्थान, बोरूंदा

देश के बैंकों का एनपीए 10 वर्ष के निचले स्तर पर

मुंबई/एजेंसी। आरबीआई ने कहा कि देश के बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्ति यानी फंसा कर्ज अनुपात इस साल मार्च में 10 साल के निचले स्तर 3.9% पर आ गया। आरबीआई ने अपनी छमाही वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में कहा कि सकल एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) और सुधरकर 3.6% पर आने का अनुमान है। केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिपोर्ट की भूमिका में लिखा है कि बैंक और कंपनियों के बही-खाते मजबूत हुए हैं। इससे कुल मिलाकर वृद्धि को गति मिलने की उम्मीद है क्योंकि बही-खातों के मजबूत होने का दोहरा लाभ है। एक तरफ जहां कंपनियों का कर्ज कम होगा, वहीं बैंकों का एनपीए भी नीचे आएगा। उन्होंने साइबर जोखिम और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिये अंतरराष्ट्रीय सहयोग और नियामकीय व्यवस्था पर ध्यान देने की भी बात कही। दास ने रिपोर्ट की भूमिका में लिखा है, ''वित्तीय स्थिरता महत्वपूर्ण है और सभी संबद्ध पक्षों को इसे संरक्षित रखने के लिये मिलकर काम करना होगा।'' उन्होंने विदेशों में कुछ बैंकों के विफल होने के बीच सतर्क रहने की जरूरत बताते हुए कहा कि वित्तीय क्षेत्र के नियामक और उनके अंतर्गत आने वाली इकाइयां स्थिरता को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं।

स्कूल यूनिफार्म के ऑर्डर नहीं मिलने से कपड़ा उत्पादकों की चिंताएं बढ़ी

भीलवाड़ा/निजी संवाददाता

टेक्सटाइल मार्केट में मंदी के चलते जॉब दरों में गिरावट, धागे के भाव भी टूटे

जून माह समाप्त होने को है, लेकिन अभी तक टेक्सटाइल सिटी में स्कूल यूनिफार्म के ऑर्डर नहीं मिलने से कपड़ा उत्पादकों की चिंताएं बढ़ गई है। ऐसे में जहां जॉब दरों में गिरावट आई है, वहीं धागे के भाव भी कमजोर हुए हैं। भीलवाड़ा स्कूल यूनिफार्म उत्पादन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर अपना विशेष स्थान रखता है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि स्कूल यूनिफार्म बनाने के लिए अभी तक ऑर्डर नहीं मिलने से यह सीजन कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। इस बारे में कुछ जानकार कपड़ा उत्पादकों का कहना है कि कई प्रदेशों की सरकारों ने अपने स्तर पर स्टूडेंट्स को स्कूल यूनिफार्म का मूफ्त वितरण करना शुरू कर दिया है। ऐसे में स्कूल यूनिफार्म उत्पादन का कार्य अब कुछ बड़े उत्पादकों तक सिमट गया है और छोटे उत्पादकों को ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं।

दूसरी तरफ टेक्सटाइल मार्केट में पिछले कुछ समय से मंदी का दौर बना हुआ है। कपड़ा उत्पादकों के गोदामों में तैयार माल का स्टॉक बढ़ रहा है। ऐसे में सभी प्रोसेस हाउसों के गोदामों से निकासी कमजोर बनी हुई है। जॉब पर कपड़ा बनाने वाली लूमों पर कार्य नहीं मिलने से जॉब दरें अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई है। सुल्जर लूम पर कपड़ा बनाने की रेट 9 से 10 पैसा प्रति पिक चल रही है। अन्य लूमों पर भी कपड़ा बनाने की जॉब दरें कम हुई है।

कपड़े का उठाव कमजोर होने का असर धागे पर दिखाई देने लगा है। मार्केट में कपड़े की डिमांड नहीं होने से सभी प्रकार के धागों में उठाव नहीं है। ऐसे में इनकी रेट में 8 से 10 रुपए प्रति किलो की कमी आई है।

कपड़ा उत्पादक सुरेश जाजू ने बताया कि राज्य सरकारों की मुफ्त स्कूल यूनिफार्म वितरण योजना के कारण कपड़ा उत्पादन का कार्य बड़े कारोबारियों के हाथ में चला गया है। ऐसे में भीलवाड़ा के छोटे उत्पादकों के यहां मंदी का दौर जारी है। वहीं कपड़ा उत्पादक गजानन्द बजाज ने बताया कि भीलवाड़ा की स्कूल यूनिफार्म की पूछ-परख नहीं रही, जिससे उत्पादकों में चिंता है।

'हॉस्टल पर अब नहीं लगेगा जीएसटी'

कोटा/नि.सं.। जीएसटी काउंसिल ने जुलाई 2022 में एक नोटिफिकेशन जारी कर हॉस्टल पर 1000 रुपए की छूट को समाप्त कर दिया था। इसी वजह से हॉस्टल संचालकों के समक्ष असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इस प्रकार वर्तमान में हॉस्टल पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। यह बात वड़ोदरा के प्रमुख एडवोकेट अभय देसाई ने कोटा में ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रैक्टीशनर, राजस्थान टैक्स कंसल्टेंट एसोसिएशन एवं टैक्स बार एसोसिएशन कोटा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित मेगा टैक्स कॉन्फ्रेंस के दौरान कही।

एडवोकेट देसाई ने स्पष्ट किया की जो छूट हॉस्टल को प्राप्त थी, वह हॉस्टल्स के लिए नहीं थी एवं उसके हटा देने से हॉस्टल के कर दायित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अत: उन्होंने यह स्पष्ट किया कि आज भी यदि कोई हॉस्टल संचालक है और साथ में स्टूडेंट्स को मैस, लॉन्ड्री व क्लीनिंग आदि सर्विस मुहैया करवाता है तो वह जीएसटी के दायरे से बाहर है। सीनियर एडवोकेट डॉ. के. शिवाराम व एडवोकेट शशि अशोक बेकल ने फैसलेस एसेसमेंट की बारीकियां समझाई। उन्होंने आयकर अधिनियम के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित फेसलेस कर निर्धारण की प्रक्रिया की बारीकियों के विषय में उपस्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट व टैक्स एडवोकेट को विस्तार से जानकारी दी। फेसलेस कार्यवाही में चूंकि अधिकारी के साथ व्यक्तिगत संपर्क नहीं होता है। इस कारण जो भी लिखित जवाब प्रस्तुत किया जा रहा है वह इतना सटीक होना चाहिए कि अधिकारी को हमारी बात सरलता से समझ आ सके, ताकि आदेश हमारे विपरीत पारित ना हो।

उन्होंने न्यायालय द्वारा पारित कुछ महत्वपूर्ण प्रकरणों की जानकारी भी उपस्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट व टैक्स एडवोकेट को दी। कार्यक्रम का संचालन टैक्स बार एसोसिएशन कोटा के सचिव सीए सुमित चित्तौड़ा ने किया। कार्यक्रम में टैक्स बार एसोसिएशन कोटा के प्रेसीडेंट सीए देवेंद्र कटारिया भी उपस्थित थे। साथ ही एडवोकेट राजकुमार विजय व सीए लोकेश माहेश्वरी सेशन चेयरमैन रहे, जबकि एम.एल.पाटोदी व सीए मिलिंग विजयवर्गीय कॉन्फ्रेंस के डायरेक्टर रहे।

इंडो ईस्ट अफ्रीका ट्रेड एक्सपो की तैयारियां जारी, अरोड़ा पहुंचे केन्या

जयपुर/का.सं.। फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री (फोर्टी) और राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की ओर से केन्या की राजधानी नैरोबी में 5 से 7 जुलाई तक आयोजित इंडो ईस्ट अफ्रीका ट्रेड एक्सपो की तैयारियां युद्धस्तर पर जारी है। इसी सिलसिले में राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन राजीव अरोड़ा नैरोबी पहुंचे, जहां उनका स्वागत राजस्थान एसोसिएशन ऑफ केन्या के फाउंडर प्रेसिडेंट डॉ. सोनवीर सिंह, आरएके महिला विंग संस्थापक निर्मल चौधरी, उपाध्यक्ष चन्द्र प्रकाश भगराना, कोषाध्यक्ष जगदीश टाक, पवन गहलोत और एविन गहलोत ने स्वागत किया। अरोड़ा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से शुभकामना संदेश दिया और कहा कि हम राजस्थान को देश-दुनिया में उद्योग, व्यापार और निर्यात क्षेत्र में अग्रणी राज्य के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। डॉ. सोनवीर सिंह इसके लिए केन्या सरकार के साथ ईस्ट अफ्रीका के केन्या, बरुंडी, रवांडा, तंजानिया, युगांडा, कॉन्गो, साउथ सूडान और इथोपिया देशों में भारतीय मूल और अफ्रीकी बिजनेस एसोसिएशन से लगातार संपर्क कर एक्सपो में भाग लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। डॉ. सोनवीर सिंह का कहना है कि एक्सपो में 170 से ज्यादा भारतीय मूल के बिजनेस, सोशल एसोसिएशन और 50 से ज्यादा अफ्रीका के एसोसिएशन अपनी भागीदारी निभाएंगे। यहां ईस्ट अफ्रीका के 8 देशों से 20 हजार से ज्यादा बायर भाग लेंगे। बता दें कि अभी ईस्ट अफ्रीका के देशों की अर्थव्यवस्था में भारतीय मूल के उद्योगपतियों की हिस्सेदारी करीब 30 पर्सेंट है और इस 30 पर्सेंट में राजस्थानियों की हिस्सेदारी भी लगभग 30 पर्सेंट है।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में 1.40 करोड़ से ज्यादा परिवार रजिस्टर्ड

जयपुर/का.सं.। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से प्रदेश के 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा परिवार जुड़ चुके हैं। वहीं रजिस्टर्ड परिवारों में से 93 पर्सेंट से ज्यादा ने मंहगाई राहत कैम्पों में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। यह जानकारी राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एंजेसी की 8वीं गवर्निंग बाडी की बैठक में मुख्य सचिव ऊषा शर्मा ने दी। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जो परिवार अब भी योजना में रजिस्टर्ड होने से वंचित रह गए हैं, उन्हें जल्द से जल्द जोड़ा जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की प्रगति और बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की और प्रगति पर संतुष्टि जाहिर की। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बताया कि चिरंजीवी योजना में अब तक 4965 करोड़ से ज्यादा की राशि व्यय कर 44 लाख 95 हजार से ज्यादा मरीजों को कैशलेस उपचार का लाभ दिया जा चुका है। बजट घोषणा की अनुपालना में योजना से जुड़े लोगों को राज्य से बाहर अंग प्रत्यारोपण की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए विभाग ने दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। अब योजना से जुड़ा कोई भी व्यक्ति राज्य के बाहर भी अंग प्रत्यारोपण करवा सकता है। ऐसे मरीज व उसके एक सहयोगी के हवाई जहाज से आने-जाने के लिए 1 लाख रुपए तक की राशि के पुनर्भरण का प्रावधान भी किया गया है।

कोटा डेयरी ने सरस दूध की होम डिलीवरी शुरू की

कोटा/नि.सं.। कोटा-बूंदी जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (कोटा डेयरी) ने आगामी त्यौहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए सरस दूध की रेट्स में कटौती करने का फैसला लिया है। साथ ही होम डिलीवरी की भी सुविधा शुरू की है। कोटा डेयरी के प्रबंध संचालक प्रमोद चारण ने बताया कि कोटा डेयरी ने हाल ही में सरस गोल्ड व टोंड दूध में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है। साथ ही कोटा डेयरी ने ग्राहकों की सुविधा के मद्देनजर सरस दूध (200 लीटर दूध से अधिक) सुगमता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरस के उच्च गुणवत्ता वाले दूध की होम डिलीवरी प्रारंभ की है।

नेशनल • इंटरनेशनल

बायोमास पेलेट्स की खरीद बढ़ाने के लिए नीति में बदलाव

नयी दिल्ली/एजेंसी

बिजली मंत्रालय ने कहा कि उसने कोयला-आधारित ताप बिजली संयंत्रों के लिए बायोमास छर्रों (पेलेट्स) की खरीद को समर्थन देने के लिए बायोमास सह-ज्वलन नीति में बदलाव किया है।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह निर्णय किसानों, उद्यमियों के साथ-साथ ताप विद्युत संयंत्रों को भी एक स्थायी बायोमास आपूर्ति-श्रृंखला स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। मंत्रालय ने कहा, ताप विद्युत संयंत्र में सह-ज्वलन के लिए उपयोग किए जाने वाले बायोमास छर्रों की कीमतों को मानकीकृत करने का फैसला किया गया है। बिजली मंत्रालय ने बिजली संयंत्रों द्वारा बायोमास छर्रों की मानकीकृत कीमत पर खरीद को सक्षम बनाने के लिए बायोमास सह-ज्वलन नीति संशोधित की है। सरकार की बायोमास नीति में ताप विद्युत संयंत्रों में कोयले के साथ बायोमास को भी जलाना अनिवार्य बनाया गया है। इस प्रक्रिया में बिजली उत्पादन के लिए कोयले के साथ बायोमास पेलेट्स को भी जलाया जाता है। बायोमास छर्रों की कीमत तय करते समय उसकी कारोबारी व्यवहार्यता, बिजली दरों पर प्रभाव और बिजली इकाइयों द्वारा सक्षम एवं तीव्र खरीद को ध्यान में रखा जाएगा। इनकी कीमत को मानकीकृत करने से पेलेट्स विक्रेताओं के अलावा ताप विद्युत संयंत्र भी सह-ज्वलन के लिए एक स्थायी आपूर्ति व्यवस्था बनाने में सक्षम बनाएगी। मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय बिजली प्राधिकरण (सीईए) के तहत गठित समिति द्वारा तय की गई कीमत एक जनवरी, 2024 से लागू हो जाएगी। इस मौके पर केंद्रीय बिजली मंत्री आर के सिंह ने कहा कि कोयला आधारित बिजली संयंत्रों में बायोमास का सह-ज्वलन ऊर्जा सुरक्षा, जीवाश्म ईंधन के कम उपयोग और किसानों की आय में वृद्धि की दिशा में सरकार की एक प्रमुख नीति है। इस संशोधित नीति से इन लक्ष्यों को तेजी से हासिल करने में मदद मिलेगी।

जेम पोर्टल जुलाई से शुरू करेगा देरी से भुगतान पर दंडात्मक ब्याज लगाने का प्रावधान

नयी दिल्ली/एजेंसी। सार्वजनिक खरीद पोर्टल जेम देरी से भुगतान करने पर जुलाई से दंडात्मक ब्याज लगाने का प्रावधान शुरू करेगा। सरकारी मंत्रालय और विभाग अगर विक्रेताओं को देरी से भुगतान करेंगे तो उन्हें यह ब्याज देना होगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। सरकार ने 2020 में फैसला किया था कि जेम मंच पर सामान बेचने वाले विक्रेताओं को भुगतान में देरी करने पर खरीदारों से एक प्रतिशत जुर्माना लिया जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह प्रावधान जुलाई से प्रभावी होगा। सरकारी ई-मार्केट (जेम) के सीईओ पी के सिंह ने कहा कि खरीदारों, विशेषकर राज्य सरकारों से समय पर भुगतान हासिल करने को लेकर कुछ मुद्दे हैं।

शराब की सेल्स 2022-23 में 14% बढ़ी, प्रीमियम सेगमेंट में 48% का उछाल

नई दिल्ली/एजेंसी। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत में बनी विदेशी शराब (आईएमएफएल) की बिक्री मात्रा के लिहाज से 14 प्रतिशत बढ़कर 38.5 करोड़ पेटी तक पहुंच गई। उद्योग संगठन सीआईएबीसी के मुताबिक इस दौरान 1000 रुपये प्रति 750 मिली से अधिक कीमत वाली प्रीमियम खंड की शराब की बिक्री 48 प्रतिशत बढ़ी।

बिक्री का आंकड़ा वित्त वर्ष 2019-20 में कोविड महामारी से पहले के स्तर की तुलना में लगभग 12 प्रतिशत अधिक है। इससे पता चलता है कि उद्योग पर कोविड का असर पूरी तरह से खत्म हो गया है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहलिक बेवरेज कंपनीज (सीआईएबीसी) ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि चालू वित्त वर्ष में उद्योग में आठ प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है। इसके साथ कुल बिक्री करीब 42 करोड़ पेटी तक पहुंच सकती है। एक पेटी में नौ लीटर शराब होती है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में बिकने वाली शराब में व्हिस्की अव्वल है और कुल बिक्री में इसकी 63 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

मंत्रिमंडल ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिये पीएम-प्रणाम योजना को मंजूरी दी

नयी दिल्ली/एजेंसी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने तथा रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल घटाने के लिये राज्यों को प्रोत्साहित करने को लेकर नई योजना पीएम-प्रणाम को मंजूरी दी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को पेश 2023-24 के बजट में पीएम प्रणाम (धरती की पुनर्स्थापना, जागरूकता, सृजन, पोषण और सुधार के लिए पीएम कार्यक्रम) योजना लागू करने की घोषणा की थी।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने संवाददाताओं से कहा, ''इस योजना के तहत केंद्र राज्यों को वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने तथा रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिये प्रोत्साहन देगा।''

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर 10 लाख टन परंपरागत उर्वरक का उपयोग करने वाला राज्य इसकी खपत में तीन लाख टन की कमी लाता है, तब 3,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी की बचत होगी। इस बची हुई सब्सिडी में से 50 प्रतिशत यानी 1,500 करोड़ रुपये उस राज्य को वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग और अन्य विकास कार्यों के लिये दिये जाएंगे।

RAGHAV PRODUCTIVITY ENHANCERS LTD.
(Formerly - Raghav Ramming Mass Ltd.)

पंजीकृत कार्यालय : ऑफिस 36, चौथी मंजिल, सेंट्रल स्पाइन, अलंकार प्लाजा, विधाधर नगर, जयपुर - 302023
CIN : L27109RJ2009PLC030511
Tel & Fax : 0141-2235760/761, E-mail : rammingmass@gmail.com, Website : www.rammingmass.com

वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य श्रव्य दृश्य माध्यमों के माध्यम से आयोजित की जाने वाली 14वीं वार्षिक आम बैठक के संबंध में सूचना

राघव प्रोडक्टिविटी एन्हांसर्स लिमिटेड (''कंपनी'') के सदस्यों की 14वीं वार्षिक आम बैठक (''एजीएम'') सामान्य परिपत्र 2/2022 और 19/2021 , कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) और परिपत्र सेबी/ एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 द्वारा दिनांक 13 मई, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी (इसके बाढ़ सामूहिक रूप से ''परिपत्र'' के रूप में संदर्भित) की अनुपालना में वीडियो कांफ्रेंसिंस (''वीसी'') और ऑडियो विजुअल मीन्स (''ओएवीएम'') के माध्यम से एजीएम के नोटिस में निर्धारित कारोबार के लेन-देन के लिये मंगलवार, 25 जुलाई 2023 को अपराह्न 3:00 बजे आयोजित की जाएगी।

परिपत्रों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 (''वार्षिक रिपोर्ट 2022-23'') के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जाएगी जिनके ईमेल पते कंपनी के साथ पंजीकृत हैं। वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 कंपनी की वेबसाइट www.rammingmass.com और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होगी।

सदस्यों को एजीएम की सूचना में निर्धारित किसी भी संकल्प पर वोट डालने के लिए रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान की जाती है। सदस्यों के पास एजीएम से पहले या एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करके अपना वोट डालने का विकल्प होता है। रिमोट ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में दी गई है।

बोर्ड ने 27 जून, 2023 को हुई अपनी बैठक में रुपये 1.00/- प्रति पूर्ण पेडअप इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। वित्तीय वर्ष 2023 के लिए अंतिम लाभांश के उद्देश्य के लिए रिकॉर्ड तिथि 8 जुलाई, 2023 है। अंतिम लाभांश, यदि एजीएम में अनुमोद्त किया जाता है, तो विभिन्न ऑनलाइन हस्तांतरण मोड के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से घोषणा की दिनांक से 30 दिनों की अवधि के भीतर उन सदस्यों को, जिन्होंने अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट किया है, को भुगतान किया जाएगा। जिन सदस्यों ने अपने बैंक खाते का विवरण अपडेट नहीं किया है, उनके पंजीकृत पते पर लाभांश वारंट/डिमांड ड्राफ्ट/चेक भेजे जाएंगे। लाभांश प्राप्त करने में देरी से बचने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी के साथ अपने केवाईसी को अपडेट करें ताकि भुगतान तिथि पर सीधे उनके बैंक खाते में लाभांश प्रदान किया जा सके।

शेयरधारक जो अपना ईमेल पता/बैंक खाता पंजीकृत करना चाहते हैं, वे नीचे ढिए गए निर्देशों का पालन कर सकते हैं:-

डीमैटरियलाइज्ड होल्डिंग	कृपया डीमैट खाता विवरण (सीडीएसएल-16 अंक लाभार्थी आईडी या एनएसडीएल-16 अंक डीपीआईडी + सीएलआईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन और आधार (स्व-सत्यापित) कंपनी को cs@rammingmass.com यो रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट को पर ujata@bigshareonline.com पर ई-मेल द्वारा प्रदान करें।
फिजिकल होल्डिंग	कृपया आवश्यक विवरण जैसे फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र (आगे और पीछे), पैन (स्व-सत्यापित), आधार (स्व-सत्यापित) की स्कैन प्रति कंपनी को cs@rammingmas.com पर या रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट को पर ujata@bigshareonline.com पर ई-मेल द्वारा प्रदान करें।

वित्त अधिनियम 2020 के अनुपालन में लाभांश आय शेयरधारकों के लिये 1 अप्रेल, 2020 से कर योग्य होगी और कंपनी के लिये निर्धारित दरों पर शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश से स्रोत पर कर कटौती करना आवश्यक है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि विभिन्न श्रेणियों पर निर्धारित दरों के लिए वह वित्त अधिनियम, 2020 और उसके संशोधनों को देखें। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी/आरटीए (भौतिक रूप में धारित शेयरों के मामले में) और डिपॉजिटरी (डीमैट मोड में शेयरों के मामले में) के साथ अपना पैन अपडेट करें, एक निवासी व्यक्तिगत शेयरधारक जिसके पास पैन है और जो आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, वह tds@bigshareonline.com पर 5 जुलाई, 2023 को पूर्वाह्न 11:59 बजे तक ई-मेल द्वारा स्रोत पर कर की गैर-कटोती का लाभ प्राप्त करने के लिए फॉर्म संख्या 15जी/15एच में वार्षिक घोषणा प्रस्तुत कर सकते हैं। शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि यदि उनका पैन पंजीकृत नहीं है, तो कर 20 फीसदी की उच्च दर से काटा जाएगा। अनिवासी शेयरधारक भारत और उनके निवास के देश के बीच कर संधि के तहत लाभकारी दरों का लाभ उठा सकते हैं, जो आवश्यक दस्तावेज प्रदान करने के अधीन हैं अर्थात कोई स्थायी स्थापना और लाभकारी स्वामित्व घोषणा, टैक्स रेजिडेंसी प्रमाणपत्र, फॉर्म 10एफ या कोई अन्य दस्तावेज जो लाभ उठाने के लिए आवश्यक हो सकता है उन्हें tds@bigshareonline.com पर एक ईमेल के जरिए भेजकर कर संधि लाभ प्राप्त किया जा सकता है। उपरोक्त घोषणाओं और दस्तावेजों को शेयरधारकों द्वारा 5 जुलाई 2023 को रात्रि 11:59 बजे तक जमा करने की आवश्यकता है।

निदेशक मंडल के आदेश से
राघव प्रोडक्टीविटी एंनहांसर्स लिमिटेड
कृते/-
नेहा राठी
(कंपनी सचिव)

स्थान: जयपुर
दिनांक : 28 जून, 2023